



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर  
दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- CHG/DRG/LST-42/NGP

दिनांक:18/12/2020

प्रेषित- श्री सुशील कुमार वाली नोमीनटेड ओनर  
सर्वश्री जे के लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड,  
पोस्ट – अहिरवारा, तहसील – धमधा,  
जिला.दुर्ग (छत्तीसगढ़) – 490036

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले मे स्थित आपकी सेमरिया चूना पत्थर खदान 3.096 हे. मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमो के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 11.12.2020 by undersigned accompanied by Shri B.L.Bhati, Sr.GM(Mines),

Rule	Nature of Violation observed
Rule 55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,- every holder of a mining lease shall employ, in case of- iii.category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist; but it was observed that the geologist appointed is not working as a full time geologist in this mine and geologist is not present during the inspection. Which shows the geologist is not performing the duty as per Rule 56 of MCDR, 2017.

2 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमो का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत

(क) खान की सारी खनन संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनो का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर